

कार्यालय, कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास विभाग)
जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

Phone No.07786-242085 Fax No.242085 e-mail id : dwcdkondagaon@gmail.com

क्रमांक / 423 / मबावि/सा.वि./2026-27

कोण्डागांव, दिनांक - 15.06.2026

// विज्ञापन //

जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र (HUB) के संविदा पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना "मिशन शक्ति" की शुरुआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र, (हब) स्थापित किया गया है। मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार **जेण्डर विशेषज्ञ एवं वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ** तथा **आई.टी. असिस्टेंट** के 03 संविदा पदों पर विज्ञापन प्रकाशित कर पद की पूर्ति करने हेतु स्वीकृति प्रदाय किया गया है। आवेदन दिनांक 22.06.2026 से **अंतिम तिथि दिनांक 09.07.2026 तक सायं 05:30 बजे तक** केवल रजिस्टर डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं विज्ञापित पद का विवरण निम्नानुसार है :-

(1) **जेण्डर विशेषज्ञ (निर्धारित एकमुश्त/संविदा मासिक वेतन-25780) वेतन मैट्रिक्स लेवल -8**

क्रं.	विवरण	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग.	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	मुक्त	—	—	—	1	1
2	महिला	—	—	—	—	—
3	भू0पू0सै0	—	—	—	—	—
4	नि:शक्तजन	—	—	—	—	—
योग :-		0	0	0	1	1

(2) **वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ (निर्धारित एकमुश्त/संविदा मासिक वेतन-20900) वेतन मैट्रिक्स लेवल -7**

क्रं.	विवरण	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग.	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	मुक्त	1	—	—	—	1
2	महिला	—	—	—	—	—
3	भू0पू0सै0	—	—	—	—	—
4	नि:शक्तजन	—	—	—	—	—
योग :-		1	0	0	0	1

(3) **आई.टी.असिस्टेंट (निर्धारित एकमुश्त/संविदा मासिक वेतन-20900) वेतन मैट्रिक्स लेवल -7**

क्रं.	विवरण	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग.	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	मुक्त	1	—	—	—	1
2	महिला	—	—	—	—	—
3	भू0पू0सै0	—	—	—	—	—
4	नि:शक्तजन	—	—	—	—	—
योग :-		1	0	0	0	1

चयन हेतु आवश्यक शर्तें:-**01. आयु सीमा-**

- जेण्डर विशेषज्ञ हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2026 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी किंतु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- शेष अन्य सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2026 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8 वीं, 10 वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
- जेण्डर विशेषज्ञ एवं वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को, इन पदों हेतु 02 पद बोनस अंक दिया जाएगा।
- शेष पदों (आई.टी.असिस्टेंट) पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किए जावेंगे।
- आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रु. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकूसची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए। साथ ही आवेदन के प्रारूप में संलग्न विवरण को अनिवार्य रूप से दर्ज करें। अपूर्ण दर्ज होने पर अमान्य किया जायेगा।
- अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।
- आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा।
- किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

✓

- शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
- अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।
- प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के उपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।
- आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

02. आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे-

- वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।
- न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 18 अंक।
- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को 02 बोनस अंक दिए जाएंगे।
- उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।
- वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है वहां दोनों में 10-10 अंक होंगे।
- अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।
- इन कर्मियों को अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संशोधित में संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कहीं यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

03. चयन हेतु आर्हताएं मापदण्ड एवं अन्य शर्तें:-

भारत शासन द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत दिए गए मार्गदर्शी निर्देश में चयन हेतु उल्लेखित न्यूनतम आर्हता में राज्य की आवश्यकताओं के आलोक में राज्य एवं जिले के लिए वित्तीय मापदंडों को भी ध्यान में रखते हुए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव एवं वांछित अतिरिक्त योग्यता एवं अन्य शर्तों का निम्नानुसार निर्धारण किया गया है:-

3.1 जिला स्तरीय (DHEW) हेतु शैक्षणिक अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव:-

क.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	जेण्डर विशेषज्ञ	सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री।	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं एम.एस ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग में कार्य करने की क्षमता	- जेण्डर से संबंधित कार्य का शासकीय/अर्द्धशासकीय/ गैर सरकारी संगठन संस्थाओं में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव - कम से कम 03 वर्ष का महिलाओं के मुद्दों का अनुभव	अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव।
2	वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ	अर्थशास्त्र/ बैंकिंग/अन्य समान कार्य में स्नातक डिग्री।	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान, जिसमें एम.एस. ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	वित्तीय साक्षरता/वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्यों का शासकीय/अर्द्धशासकीय गैर सरकारी संगठन संस्थाओं में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव	अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव।
3	आई.टी. असिस्टेंट	कम्प्यूटर/ आई.टी. क्षेत्र में स्नातक उपाधि	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान, जिसमें एम.एस. ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	डाटा प्रबंधन/ प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, वेब आधारित एवं वेबबेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट में कार्य करने का शासकीय/ अर्द्धशासकीय गैर सरकारी संगठन संस्थाओं में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव	अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव।

04. नियुक्ति की अवधि:-

- इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा/एकमुश्त वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्ति किया जाएगा तथा तदपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा/सेवा अवधि प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।
- चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्य कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

// 05 //

- आवेदन पत्र दिनांक 22.06.2026 से 09.07.2026 तक कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक जिला कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग कोण्डागांव के कक्ष क्रमांक 118 जिला कोण्डागांव पिन-494226 में निर्धारित तिथि तक प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। केवल रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित आवेदन ही स्वीकार किये जावेंगे।
(जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित)


जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)